कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2022/105 लखनऊः दिनांक 14 जनवरी 2022

यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (प्राईमरी डी0एन0बी0 तथा डिप्लोमा डी0एन0बी0) की ऑनलाइन काउन्सलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (प्राईमरी डी0एन0बी0 तथा डिप्लोमा डी0एन0बी0) की ऑनलाइन कांउसिंलिंग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित तकनीकी संस्था राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के सहयोग से **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** द्वारा करायी जा रही है। किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति के स्तर पर लिए गये प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य है, जिसका उत्तरदायित्व चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 का नहीं होगा।

- किसी भी अनाधिकृत संस्था/व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गये समस्त प्रवेश पूर्णरूप से अवैद्य माने जायेंगे। यदि भविष्य ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध मे इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा। जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (प्राईमरी डी0एन0बी0 तथा डिप्लोमा डी0एन0बी0) काउसिंलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।

- पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा), डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम काउंसिलिंग हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अलग–अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

- यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (प्राईमरी डी0एन0बी0 तथा डिप्लोमा डी0एन0बी0) की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क रू0 3,000 (प्रथम व द्वितीय चक हेतु) डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते है।

- अभ्यर्थी निम्नांकित विवरणानुसार डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से सिक्योरिटी धनराशि जमा किया जाना अनिवार्य हैः–

क0सं0	विवरण	धरोहर धनराशि
1	डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000

- बैंक द्वारा Payment Updation में कभी–कभी अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह धैर्य बनाये रखें।

- सिक्योरिटी धनराशि जमा न होने की स्थिति मे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया से स्वयं बाहर हो जायेंगे। जिसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नही की जायेगी।

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी इण्टर्नशिप दिनांक 30.9.2021 तक पूर्ण हो चुकी है, यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 (प्राईमरी डी0एन0बी0 तथा डिप्लोमा डी0एन0बी0) की काउंसिलिंग हेतु अर्ह हैं।

- सभी अभ्यर्थियो से विशेष रूप से अपेक्षा है कि यू0पी0 नीट पी0जी0 2021 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर 2021 एवं विवरण पुस्तिका(ब्रोशर) विभाग की वेबसाइट www.dgmeup.in पर उपलब्ध है, का भली भॉति स्वयं अवलोकन कर लिया जाये, जिसमे अर्ह/अनर्ह की पात्रता तथा अन्य शर्तो/प्रतिबन्धो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/संस्थानों/राजकीय चिकित्सालयों की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त (प्रवेशित) अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जायेगी जिस खाते से सिक्योरिटी धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने हेतु अभ्यर्थी अपने निजी बैंक खाते का ही प्रयोग करें। अन्यथा की स्थिति मे विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

- **अनावंटित/आवंटन प्राप्त (प्रवेशित) अभ्यर्थियो द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि की वापसी सत्र 2021 की समस्त काउन्सिलिंग पूर्ण होने के पश्चात् की जायेगी।**

- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रकिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2021 अथवा इसके पश्चात् का बना होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को छोड़ते हुए।

- पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचित किया जाता है कि मात्र वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थियों को Weightage अनुमन्य नहीं होगा।

- Inservice अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के दौरान Inservice अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में ओपेन कैटेगरी से भरी जायेंगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण करा लिया है एवं राज्य की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नही करते है अथवा किन्ही कारणो से सम्मिलित नही हो पा रहे है, वह प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में किसी कारण वश पंजीकरण नही कराया है और वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, तो वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय–सारिणी के आधार पर पंजीकरण करा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

महानिदेशक